'न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी'
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:–88,53 आरटीए
प्रकरण संख्या:–356/2020

कृष्णा पुत्री भगवानसिह पत्नी सन्तसिह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादीया

बनाम्

1. मंगूसिह
2. चन्नीसिह
3. सुखदेवसिह

पि0 भगवानसिह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

4. सुरजीत कौर पत्नी कृष्ण पुत्री भगवानसिह जाति बावरी निवासी पक्का तहसील व जिला फाजिल्का।
5. सुरजीतकौर पत्नी जीतसिह पुत्री भगवानसिह जाति बावरी निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. जंगीरो पत्नी भगवानसिह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. मंगो कौर पुत्री भगवानसिह पत्नी मुखत्यारसिह जाति बावरी निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8. रामप्यारी पुत्री भगवानसिह पत्नी वीरसिह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. परमेश्वरी पुत्री भगवानसिह पत्नी सोहनसिह जाति बावरी निवासी मुलियांवाली तहसील व जिला फाजिल्का
10. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री करनैलसिह अधिवक्ता वादीया
श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 15.01.2021

वादीया कृष्णा ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा व खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि चकनं0 1 सीडीआर के खातासं0 82/119 में कुल .759 है0 व चकनं0 4 केएचआर के खाता सं0 67/114 में कुल 5.313 है0 कृषि भूमि में वादीया व प्रतिवादीसं0 1 ता 5, 7 ता 9 के पिता भगवानसिह का 1/2 हिस्सा व प्रतिबादी सं0 1 ता 3 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीया व प्रतिवादीसं0 1 ता 5 व 7 ता 9 का पिता व प्रतिवादीया सं0 6 का पति भगवानसिह फौत हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारीसान रिकार्ड है। वादीया व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में आर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में प्रतिवादीगण सं0 4 ता 9 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग कर दिया था। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादीया व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को प्राप्त हुई थी। वादीया व प्रतिवादीसं0 1 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा अनुसार आपस मे आराजी का घरू बटवारां किया हुआ है घरू बटवारां में वादपत्र की दफा 4 के अनुसार आराजी प्राप्त हुई है।वाद पत्र की दफा 4 के अनुसार आराजी वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादीया

के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादीया वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर अपनी आराजी का खाता अलग से कायम करवाकर चकनं0 1 सीडीआर के खाता सं0 82/119 व चकनं0 4 केएचआर के खाता सं0 67/114 मे से भगवानसिह का नाम कलमजन करवाना चाहती है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 4 में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने तथा खाता तकसीम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है।वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादीया व हम प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में हम प्रतिवादीगण सं0 4 ता 9 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग कर दिया था। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादीया व हम प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को प्राप्त हुई थी। वादीया व हम प्रतिवादीसं0 1 ता 3 ने अपने हक व हिस्सा अनुसार आपस मे आराजी का घरू बटवारां किया हुआ है घरू बटवारां मे आराजी वादीया व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को दफा 4 के अनुसार प्राप्त हुई है। वाद पत्र की दफा 4 के अनुसार आराजी वादीया व हम प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के कब्जा काश्त में चली आ रही है व वादीया व हम प्रतिवादीगण वाद पत्र की दफा 4 के अनुसार अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए वादपत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी बादीया व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 1 सीडीआर के खाता सं0 82/119 व चकनं0 4 केएचआर के खाता सं0 67/114 मे से भगवानसिह का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है। जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आई. डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई। वादीया साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया व प्रतिवादीसं0 1 ने बतौर साक्ष्य अपना शपथ पत्र पेश किया व भगवानसिह का मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिसनामा पेश किया तथा वारिसनामा बाबत शपथ पत्र पेश किया गया, स्टेट द्वारा अपना जबाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस सुनी गई।वकील वादीया ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद में प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जबाबदावा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादीया के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद का कोई विरोध नही किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का निवेदन किया है।वादीया का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा, मृत्यू प्रमाण पत्र, वारिसनामा, स्टाम्प, शपथ पत्र वादीया व प्रतिवादी मंगूसिह का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीया व प्रतिवादीगण के पिता भगवानसिह के नाम से दर्ज है।पत्रावली में वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दीयॉ, शपथ पत्र तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा के आधार पर व प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का वाद का विरोध न करने के कारण तथा मुताबिक जबाबदावा वाद वादीया स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादीया साबित करने में सफल रही है। वाद वादीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

कलक्टर
उ अधिकारी
ब्यावर

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाता है कि क.वादीया कृष्णा को चकनं0 4 केएचआर के प0न0 229/204 मु0 19 किलानं0 7,8/.506, 9/.228, 11/1/.228, 11/2/.025 है0 गै0मु0 खाला, 12 ता 14/.759 है0 ख.प्रतिवादी सं0 1 गंगूसिह को चकनं0 4 केएचआर के प0न0 228/203 मु0 17 किलानं0 24/.253, 25/1/.228, 25/2/.025 है0 गै0मु0 रास्ता, प0न0 228/204 मु0 18 किलानं0 4/.253, 5/1/.228, 5/2/.025 है0 गै0मु0 रास्ता, प0न0 229/204 मु0 19 किलानं0 10/.025 है0 उत्तरी दिशा ग.प्रतिवादीसं0 2 चन्नीसिह को चकनं0 4 केएचआर के प0न0 229/204 मु0 19 किलानं0 1/1/.228, 1/2/.025 है0 गै0मु0 खाला, 9/.025 है0 पश्चिमी दिशा, 10/1/.203 है0, 10/2/.025 है0 खाला, प0न0 228/204 मु0, 18 किलानं0 14/.253, 15/1/.228, 15/2/.025 है0 गै0मु0 रास्ता, घ.प्रतिवादीसं0 3 सुखदेवसिह को चकनं0 4 केएचआर के प0न0 228/204 मु0 18 किलानं0 6/1/.228, 6/2/.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 7,8,9, ड.प्रतिवादीसं0 1 ता 3 गंगूसिह, चन्नीसिह, सुखदेवसिह को ब0हि0ब0 चकनं0 4 केएचआर के प0न0 228/204 मु0 18 किलानं0 10,11/.506 है0 च.प्रतिवादीसं0 1 ता 3 गंगूसिह, चन्नीसिह, सुखदेवसिह को ब0हि0ब0 चकनं0 1 सीडीआर के खाता सं0 82/119 में कुल .759 है0 में भगवानसिह की 1/2 हिस्सा भूमि ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर वादीया व प्रतिवादीयासं0 1 ता 4 का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने व चकनं0 1 सीडीआर के खाता सं0 82/119 व चकनं0 4 केएचआर के खाता सं0 67/114 मे से भगवानसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी,
(मांगीलाल)
टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तादाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:–356/2020

कृष्णा पुत्री भगवानसिह पत्नी सन्तसिह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम्

1. मंगूसिह
2. चन्नीसिह
3. सुखदेवसिह

पि0 भगवानसिह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

4. सुरजीत कौर पत्नी कृष्ण पुत्री भगवानसिह जाति बावरी निवासी पक्का तहसील व जिला फाजिल्का।
5. सुरजीतकौर पत्नी जीतसिह पुत्री भगवानसिह जाति बावरी निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. जंगीरो पत्नी भगवानसिह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. मंगो कौर पुत्री भगवानसिह पत्नी मुखत्यारसिह जाति बावरी निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8. रामप्यारी पुत्री भगवानसिह पत्नी वीरसिह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. परमेश्वरी पुत्री भगवानसिह पत्नी सोहनसिह जाति बावरी निवासी मुलियांवाली तहसील व जिला फाजिल्का
10. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री करनैलसिह वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री सुभाषचन्द्र गर्ग प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादीया कृष्णा को चकनं0 4 केएचआर के प0न0 229/204 मु0 19 किलानं0 7,8/506, 9/.228, 11/1/.228, 11/2/.025 है0 गै0मु0 खाला, 12 ता 14/.759 है0 ख.प्रतिवादी सं0 1 मंगूसिह को चकनं0 4 केएचआर के प0न0 228/203 मु0 17 किलानं0 24/.253, 25/1/.228, 25/2/.025 है0 गै0मु0 रास्ता, प0न0 228/204 मु0 18 किलानं0 4/.253, 5/1/.228, 5/2/.025 है0 गै0मु0 रास्ता, प0न0 229/204 मु0 19 किलानं0 10/.025 है0 उतरी दिशा ग.प्रतिवादीसं0 2 चन्नीसिह को चकनं0 4 केएचआर के प0न0 229/204 मु0 19 किलानं0 1/1/.228, 1/2/.025 है0 गै0मु0 खाला, 9/.025 है0 पश्चिमी दिशा, 10/1/.203 है0, 10/2/.025 है0 खाला, प0न0 228/204 मु0 18 किलानं0 14/.253, 15/1/.228, 15/2/.025 है0 गै0मु0 रास्ता, घ.प्रतिवादीसं0 3 सुखदेवसिह को चकनं0 4 केएचआर के प0न0 228/204 मु0 18 किलानं0 6/1/.228, 6/2/.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 7,8,9, ड.प्रतिबादीसं0 1 ता 3 मंगूसिह, चन्नीसिह, सुखदेवसिह को ब0हि0ब0 चकनं0 4 केएचआर के प0न0 228/204 मु0 18 किलानं0 10,11/.506 है0 च.प्रतिबादीसं0 1 ता 3 मंगूसिह, चन्नीसिह, सुखदेवसिह को ब0हि0ब0 चकनं0 1 सीडी आर के खाता सं0 82/119 में कुल .759 है0 में भगवानसिह की 1/2 हिस्सा भूमि

ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर वादीया व प्रतिवादीयास0 1 ता 4 का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने व चकनं0 1 सीडीआर के खाता सं0 82/119 व चकनं0 4 केएचआर के खाता सं0 67/114 मे से भगवानसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...X.....निल..X......मुब्लिक.X....निल.....X......बावत्.....X.......निल.....X.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..X....अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15.01.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी